(10)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/19/2014	31–03–2014	27–12–2019

01– जगदीश सिंह पुत्र स्व0 गुलाबसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम मिर्जापुर।
02– हनुमान सिंह पुत्र स्व0 गुलाबसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम मिर्जापुर।
03– भँवरबाई पुत्री स्व0 गुलाबसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम मिर्जापुर (मृतक)।
3/1 महेन्द्र सिह पुत्र श्री जगदीश सिंह जाति राजपूत निवासी पलासाना।
3/2 हरिसिंह पुत्र श्री जगदीश सिंह जाति राजपूत निवासी पलासाना।
3/3 उम्मेद कँवर पुत्री श्री जगदीश सिंह जाति राजपूत निवासी पलासाना।
3/4 सरोज कँवर पुत्री श्री जगदीश सिंह जाति राजपूत निवासी पलासाना तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0।
04– मु0 कमोद बाई पुत्री स्व0 गुलाब सिंह जाति राजपूत निवासी मिर्जापुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

–अपीलान्ट्स

बनाम

01– किशन सिह पुत्र स्व0 गुलाब सिह जाति राजपूत।
02– मदन सिंह पुत्र स्व0 गुलाब सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम मिर्जापुर तहसील मुण्डावर हाल निवासीयान जालूकी तहसील नगर जिला भरतपुर।
03– तहसीलदार, भू0अ0, मुण्डावर जिला अलवर राज.।

–रेस्पाडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार मुण्डावर इंतकाल संख्या 741 दिनांक 11.02.2013

उपस्थितः–

01. श्री शिवनारायण शर्मा –वकील अपीलान्ट्स
02. श्री मूलचंद चौधरी –वकील रैस्पो0

––:: निर्णय ::––

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार मुण्डावर के आदेश दिनांक 11.02.2013 जिसके द्वारा नामान्तरकरण संख्या 741 वाके ग्राम मिर्जापुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर बेजा तौर पर रैस्पो0 सं0 1 व 2 के नाम स्वीकार किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज़ रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि उक्त निर्णय की जानकारी अपीलांट्स को नहीं थी। दि0 24.03.2014 को

अतिरिक्त जिला कलैक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)

पटवारी हल्का के पास गये तो बताया गया कि इंतकाल सं0 741 चढा है। जिसकी नकल प्राप्त कर अपील पेश की गयी। देरी के लिए पृथक से दफा 5 मियाद अधिनियम प्रा0पत्र पेश किया गया है। विरासत का इंतकाल को सुनने का क्षेत्राधिकार ग्राम पंचायत का होता है। ऐसी सुरत में तहसीलदार द्वारा पारित निर्णय दि0 11.02.2013 नलीटी है। काबिल निरस्त है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ग्रम मिर्जापुर में कोई कार्यवाही नहीं की है। बाला–बाला छुपाकर ग्राम पलावा में कार्यवाही करना बताया है। रैस्पो0 सं0 1 व 2 करीब 54 साल से ग्राम मिर्जापुर तहसील मुण्डावर में नहीं रहते है। 54 साल पूर्व ग्राम छोड़कर ग्रम जालूकी तहसील नगर जिला भरतपुर में रहते है। रैस्पो0 01 व 02 जमीन को विक्रय करके छोड़कर चले गये है। रैस्पो0 सं. 1 व 2 ने गुलाबसिंह का इंतकाल धोखे से अपने नाम खुलवाया है। विवादित इंतकाल एक ही दिन में दि0 11.02.2013 को समस्त कार्यवाही होकर स्वीकृत किया गया है। इंतकाल दर्ज करते समय अन्य भागीदारान् व काश्तकारान् को नोटिस जारी नहीं किये गये। विवादित आराजी में गुलाबसिंह का हिस्सा 1/20 है, जो गुलाबसिंह के कब्जे में नहीं था। खसरा नम्बर 460 गै.मु.मरघट है। खसरा नम्बर 602 रकबा 1.34 है. में गुलाबसिह का 1/20 हिस्सा है। अन्य हिस्सेदारान् को तलब नहीं किया गया। खसरा नम्बर 603 रकबा 0.8 है., 604/0.13, 605/0.38, 606/0.47, 754/743/0.19 वाके ग्राम मिर्जापुर में रैस्पो0 का कोई कब्जा नहीं है। खसरा नम्बर 460 रकबा 0.78 है. में भी रैस्पो0 का कोई कब्जा नहीं है। गुलाबसिंह की मृत्यु दि0 03.05.2014 को 13 साल पूर्व हो चुकी है। सन् 2013 में इंतकाल का कोई आधार नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा गुलाबसिंह की वसीयत रजिस्टर्डशुदा दि0 30.10.1984 को दर्ज किया जा चुका है। गुलाबसिंह की मृत्यु का इंतकाल सं0 376 तारीख 23.05.2000 को वसीयत के आधार पर दर्ज हो चुका है। गुलाबसिंह ने अपने जीवनकाल में दि0 29.10.1984 व 30.10. 1984 को रजिस्टर्ड वसीयत लिखी थी तथा उक्त वसीयत रजिस्टर्ड भी करायी थी। रैस्पो0 द्वारा दि0 12.06.1969 को अपीलांट्स के कहने से रूपय दे दिये। रैस्पो0 द्वारा अपने ससुराल ग्राम जालूकी तहसील नगर जिला भरतपुर में जमीन खरीद ली। वो तभी से ग्रम जालूकी में रहते है। जमीन का इंतकाल अपीलांट्स के हक में रेस्पो0 सं0 1 व 2 की सहमति से दर्ज हुआ है। उपरोक्त विवादित आराजी से रैस्पो0 सं0 1 व 2 का कोई संबंध व सरोकार नहीं है। अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमायी जाकर इंतकाल सं0 741 दि0 11.02.2013 निरस्त फरमाया जावें। अपीलांट्स द्वारा बहस के समर्थन में आरआरडी 2002 पेज 111, आरआरडी 2008 पेज 804, एआईआर 1998 पेज 2276 नजिरें पेश की है।

विद्वान वकील रैस्पो0 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अपीलांट्स द्वारा अपील अवधिपार पेश की गयी है। इंतकाल सं0 376 जो वसीयत के आधार पर था। उस वसीयत में खसरा नम्बर 602, 603 व 654 नहीं थे। वसीयत में उल्लेखित नम्बर से ज्यादा भूमि नहीं मिलेगी। अगर पर्याप्त कारण नहीं बताया जाता है तो केवल कहने से ही मियाद माफ नहीं की जा सकती। विरासत वैध है। विरासत के मामले में जांच की गयी है। सभी भाई–बहनों का नाम दर्ज किया गया है। विरासत के इंतकाल में कब्जा नहीं देखा जाता है। इंतकाल अधिकार नहीं दिलाता है। वित्तीय भार चुकाने का दायित्व देता है। अतः अपील अपीलाट्स खारिज फरमायी जावें। बहस के समर्थन में आरआरडी 1988 पेज 109,

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज०)

आरबीजे 2010 पेज 389, आरआरडी 2007 पेज 34 आरआरडी 1994 पेज 71, आरआरडी 2005 पेज 97 नजिरे पेश की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम प्रा0पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम का अवलोकन किया गया। अपीलांट्स द्वारा निर्णय दि0 11.02.2013 की अपील दि0 27.03.2014 को लगभग 01 वर्ष के विलम्ब से पेश की गयी है। प्रा0पत्र के साथ शपथ–पत्र पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद में अंकित तथ्यों पर विश्वास कर नरमी का रूख अपनाते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् व अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल इंतकाल का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि पटवारी हल्का द्वारा विरासत का इंतकाल दि0 11.02.2013 को दर्ज कर मिलान हेतु गिरदावर से उसी दिन पेश किया गया। गिरदावर द्वारा दि0 11.02.2013 को ही मिलान किया गया एवं तहसीलदार मुण्डावर द्वारा उक्त इंतकाल उसी दिन दि0 11.02.2013 को ही स्वीकार कर लिया गया। जबकि पटवारी द्वारा इंतकाल दर्ज कर ग्राम पंचायत के समक्ष पेश करना चाहिए था तथा अवधि निकलने के बाद उक्त इंतकाल तहसीलदार मुण्डावर के समक्ष पेश किया जाना चाहिए था। तहसीलदार मुण्डावर द्वारा उक्त इंतकाल स्वीकृत कर विधिक त्रुटि की गयी है। अपीलांट्स द्वारा पेश राजीनामा दि0 12.06.1969 के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि रैस्पो0 द्वारा अपने हिस्से की आराजी जगदीश सिंह व हनुमान सिंह के नाम करने की सहमति दी गयी है। अपील अपीलांट्स स्वीकार योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार मुण्डावर का निर्णय दि0 11.02.2013 इंतकाल सं0 741 निरस्त किया जाकर तहसीलदार मुण्डावर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पुनः जांच कर विधिसम्मत् निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवायी जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 27–12–2019 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भगवत सिंह देवल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राजस्थान)